


FORM NO.III

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)  
रमेश चन्द बनाम नारायण  
 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 81/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>11.3.25</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रमेश चन्द</u></p> <p>पिता श्री <u>जीविन्द लाल शर्मा</u></p> <p>निवासी-<u>शिवोदिमा का सावन</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>शिवोदिमा का सावन</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>364/639, 366, 373/619, 502, 517, 518, 359, 366, 502, 502, 597, 667, 607, 638</u></p> <p>कुल कीता <u>10</u> कुल रकबा <u>7.52</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>शिवोदिमा का सावन (प.ह.नारेला)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>364/639, 366, 373/619, 502, 517, 518, 359, 366, 502, 597, 667, 607, 638</u></p> <p>कुल कीता <u>10</u> रकबा <u>7.52</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षरे <u>डॉ. राजा (कपडे)</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <div style="text-align: right;">         (अंतर्गत)        उपखण्ड अधिकारी        चित्तौड़गढ़ (राज.)     </div>